

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर

क्रमांक:-एफ.1(8)()सामा./ सान्ध्याअवि/ 2022 / 7465

जयपुर, दिनांक :- 11.02.2022

विज्ञप्ति

वर्ष 2022 हेतु जिला स्तरीय भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार 2022 दिये जाने हैं। इस पुरस्कार में मात्र प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा, कोई नकद राशि नहीं दी जायगी। अतः निम्न पुरस्कारों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.सं	पुरस्कार	क्षेत्र एवं पात्रता
1	अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार	<ol style="list-style-type: none"> व्यक्ति जिले का मूल निवासी हो/संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो। उप जिला कलक्टर द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठा का प्रमाण-पत्र। संस्था/व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सामाजिक सेवा में कार्यरत रहे हों। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुँचाने में संस्था/व्यक्ति की उल्लेखनीय भूमिका/योगदान रहा हो। संस्था/व्यक्ति द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रीतों से वंचित वर्ग के लिए कार्य किये हों।
2	अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार	<ol style="list-style-type: none"> महिला जिले की मूल निवासी हो/संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो। उप जिला कलक्टर द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठा का प्रमाण-पत्र। संस्था/महिला कम से कम 4 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों की महिलाओं के उत्थान हेतु कार्यरत रही हो। महिला उत्थान के क्षेत्रों में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुँचाने में संस्था/महिला का उल्लेखनीय योगदान रहा हो। संस्था/महिला द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रीतों से वंचित वर्ग के लिये कार्य किये हों।
3	अम्बेडकर न्याय पुरस्कार	<ol style="list-style-type: none"> अधिवक्ता जिले का मूल निवासी हो। जिला कलक्टर तथा जिला सेशन न्यायाधीश द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठा का प्रमाण-पत्र। (प्रत्येक का पृथक्-पृथक् प्रमाण पत्र) अधिवक्ता द्वारा कम से कम 10 वर्ष से वकालत हेतु पंजीकृत होकर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ, जिला न्यायालय में निःशुल्क/न्यून शुल्क पर पैरवी की हो। ऐसे प्रकरणों का निर्णयों सहित विवरण तथा इन निर्णयों से हुये प्रभाव। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों एवं राजकीय सेवाओं के कार्मिकों के लिये प्रचलित अधिनियमों/नियमों में कोई संशोधन करवाया हो/नये अधिनियम/नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका।

नोट : आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 10/03/2022 तक डाक से अथवा व्यक्तिशः जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे। गत वर्षों में पुरस्कृत संस्था/व्यक्ति आवेदन नहीं करें। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in एंवं जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु जिला कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।


(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

33

जिला स्तरीय अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार के लिये आवेदन पत्र

(दिनांक 1.1.200.....तक पिछले 5 वर्षों से कार्यरत हो आवेदन करें)

1. स्वयंसेवी संस्था / व्यक्ति का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. जन्मतिथि.....
4. स्वयंसेवी संस्था / व्यक्ति का पता.....
5. स्थायी पता.....
पत्र व्यवहार का पता..... फोन नं.....
6. यदि संस्था है तो पंजीकरण संख्या..... दिनांक..... (पुष्टि हेतु सत्यापित प्रति संलग्न करें)
7. अनुसूचित जाति / जनजाति के उत्थान के लिए संस्था / व्यक्ति द्वारा पिछले 5 वर्षों किये गये कार्यों का विवरण मय दस्तावेज.....
8. उपखण्ड अधिकारी द्वारा चरित्र एवं प्रतिष्ठा के क्षेत्र में प्रमाण पत्र.....
9. भारत सरकार / राज्य सरकार / जिला कलक्टर द्वारा दिए गए सम्मान का विवरण (यदि कोई हो)
10. संस्था द्वारा विदेशी / स्वदेशी अनुदान प्राप्त किये जाने का पिछले 5 वर्षों का वर्षवार विवरण.....
11. संस्था / व्यक्ति के बैंक खातों का विवरण.....



आवेदक / संस्था के मुखिया का
नाम एवं हस्ताक्षर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
उपरोक्त संस्था / व्यक्ति द्वारा दिये गये विवरण का सत्यापन करवा लिया गया है। संस्था / व्यक्ति को अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार वर्ष दिये जाने की अभिशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील
उपखण्ड अधिकारी

नोट:- आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों संलग्न करें।

जिला स्तरीय अम्बेडकर न्याय पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र

1. अधिवक्ता का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. आवेदक का पता.....

फोटो

पत्र व्यवहार का पता.....

स्थायी पता.....
फोन नं.....

4. जन्मतिथि.....

5. शैक्षणिक योग्यता.....

6. बार काउंसिल का पंजीयन क्रमांक.....दिनांक.....

7. दिनांक.....से पिछले 10 वर्षों के यकालत के दौरान निर्णित मुकदमों विवरण

न्यायालय का नाम	पैरवी किये गये प्रकरणों की संख्या		लाभान्वितों की संख्या	
	एस.सी.	एस.टी.	एस.सी.	एस.टी.
अधीनस्थ न्यायालय				

नोट:- उक्त तालिका में अंकित निर्णित प्रकरणों की पठनीय छाया प्रतियों

8. जिला कलक्टर तथा जिला सेशन न्यायाधीश द्वारा जारी चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठा का प्रमाण पत्र। (प्रत्येक का पृथक्-पृथक् प्रमाण पत्र)

9. अधिवक्ता द्वारा समाज सेवा हेतु किये अन्य कार्यों का विवरण मय दस्तावेज

10. आरक्षित वर्ग के हितों की पूर्ति के लिए किसी कानून विशेष में संशोधन करने अथवा नया कानून बनवाने में कोई योगदान दिया हो तो उसका विवरण.....

11. अन्य कोई विवरण.....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

जिला कलक्टर / जिला सेशन न्यायाधीश कार्यालय की टिप्पणी—
श्री/ श्रीमती/ सुश्री..... को अम्बेडकर न्याय पुरस्कार वर्ष.....
के लिए अभिशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील
जिला कलक्टर/जिला सेशन न्यायाधीश

नोट:- आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों संलग्न करें।

जिला स्तरीय अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के लिये आवेदन पत्र

1. महिला/संस्था का नाम
2. पिता/पति का नाम.....
3. जन्मतिथि.....
4. पता:
पत्र व्यवहार का पता:.....
5. स्थायी पता.....फोन. नं.....
6. अगर संस्था है तो संस्था का पंजीयन संख्या.....दिनांक.....
7. महिला कल्याण के लिए किये गये कार्यों का विवरण.....
8. पूर्व में जिन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है उनका विवरण.....

फोटो

आवेदक/संस्था के मुखिया का
नाम एवं हस्ताक्षर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी.....

उपरोक्त संस्था/महिला.....ग्राम/कस्बा.....तहसील.....

जिला.....के सम्बन्ध में इनके द्वारा दिये गए विवरण का सत्यापन करवा लिया है। इनकों
अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार वर्ष.....प्रदान किये जाने की सिफारिश की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील
उपखण्ड अधिकारी

नोट:- आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों संलग्न करें।